प्राक्कथन

मार्च 2016 में समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के रेल मंत्रालय की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उन उदाहरणों को उल्लिखित किया गया है, जो 2015-16 की अवधि हेतु नमूना लेखापरीक्षा के दौरान नोटिस किये गये थे, इसके साथ ही वह भी जो पूर्व वर्षों में नोटिस किये गये थे, लेकिन पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थें; 2015-16 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरण भी शामिल किये गये हैं, जहां भी आवश्यक था।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार की गई है।